

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 232/2017

दायर दिनांक-20-12-2017

बनारसी देवी पत्नी श्री हरलाल सिंह जाति जाट निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

- वादी

बनाम

1. मोहनी पुत्री गणपतराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र विधाधर जाति जाट निवासी मिठारवालों की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4. शाखा प्रबंधक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री राजेन्द्र सिंह बेरवाल

वकील प्रतिवादी : - एकपक्षीय

दावा बाबत बंटवारा  
निर्णय

दिनांक : 09-03-2021

वाद वादी दिनांक 19.11.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मॉका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2020/1099 दिनांक 07.08.2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील वादी द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।


उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मिठारवालों की ढाणी तन खिरोड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 2196, 2197 रकबा क्रमशः 0.02, 3.90 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.92 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2197 रकबा 1.26 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का बनारसी देवी पत्नी हरलाल सिंह जाति साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2196, 2197/1 रकबा क्रमशः 0.02, 2.60 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.62 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का मोहनी पत्नी गणपतराम हिस्सा 1/2, राजेन्द्र कुमार पुत्र विधाधर हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार राहिन मोहनी हिस्सा 1/8 रा.ग्रा.बैंक खिरोड़ मुर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

  
ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़



3. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2197/2 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म वारानी प्रथम का बनारसी देवी पत्नी हरलाल सिंह हिस्सा 1/3 मोहनी पुत्री गणपतराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र विद्याधर ना.बा. संरक्षिका हिस्सा 2/3 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।  
तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पचा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दमयंती किवर (फा. ट्रे.)  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

दावा बाबत बंटवारा

( बनारसी देवी बनाम मोहनी देवी वगैरह )

मुकदमा नम्बर 232/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।  
निर्णय दिनांक 09.03.2021 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मिठारवालों की ढाणी तन खिरोड़ रिथत भूमि खसरा नम्बर 2196, 2197 रकबा क्रमशः 0.02, 3.90 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.92 हैक्टेर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2197 रकबा 1.26 हैक्टेर किस्म वारानी प्रथम का बनारसी देवी पत्नी हरलाल सिंह जाति साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2196, 2197/1 रकबा क्रमशः 0.02, 2.60 हैक्टेर कुल किता 02 कुल रकबा 2.62 हैक्टेर किस्म वारानी प्रथम का मोहनी पत्नी गणपतराम हिस्सा 1/2, राजेन्द्र कुमार पुत्र विधाधर हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार राहिन मोहनी हिस्सा 1/8 रा.ग्रा.बैंक खिरोड़ मुर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम मिठारवालों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2197/2 रकबा 0.04 हैक्टेर किस्म वारानी प्रथम का बनारसी देवी पत्नी हरलाल सिंह हिस्सा 1/3 मोहनी पुत्री गणपतराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र विधाधर ना.बा. संरक्षिका हिस्सा 2/3 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.03.2021 को जारी की गई।

( दमयंती कंवर (फा.ट्रे.) )  
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
नवलगढ  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रुपया पैसे	मुद्दासलह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00